प्रपत्र आई0 डी0 – 3
(भांग की थोक आपूर्ति के ठेके का अनुज्ञा–पत्र)

सर्वश्री .... को जिन्हें कि इसके अन्तर्गत थोक ठेकेदार कहा जायेगा, यू0 पी0 एक्साइज एक्ट (ऐक्ट संख्या 4, 1910) तथा उसके अधीन बने हुए नियमों के अन्तर्गत आबकारी गोदामों पर जिनका उल्लेख परिशिष्ट में है, बिक्री के लिए थोक रूप में भांग देने का अधिकार 1 अप्रैल 1991 ई0 से 31 मार्च 1992 (एक वर्ष) के लिए प्रदान किया जाता है।

2–भांग की निकासी की दर परिशिष्ट में उल्लिखित है, लेकिन सरकार को यह अधिकार है कि ठेके की अवधि के पहले या उसके मध्य में उसमें कमी या वृद्धि कर सकती है। सरकार भांग की फुटकर बिक्री की दर को भी ठेके की अवधि के पहले या उसके मध्य निर्धारित करने का एकाधिकार सुरक्षित रखती है।

3–भांग साफ ताजी और सर्वोत्तम प्रकार की होनी चाहिए। भांग जिस वर्ष में निकासी दी जा रही हो उसकी या उसके पहले वर्ष की फसल की स्वतः उगी हुई होनी चाहिए जिसमें कुड़ा करकट, धूल या किसी प्रकार की मिलावट नहीं होनी चाहिए। यह संचय के समय या ठेके की अवधि काल में किसी समय रसायनिक विशलेषण भेजी जा सकती है तथा आबकारी आयुक्त द्वारा उनमें जो दोष या मिलावट पायी जायेगी उसे दूर करने के लिए थोक ठेकेदार बाध्य होगा। भांग यदि अच्छी प्रकार की न हो या उसमें मिलावट हो तो उसको लेने से इनकार किया जा सकता है अथवा नष्ट कराया जा सकता अथवा आबकारी आयुक्त के आदेशानुसार अन्य प्रकार से उसे निस्तारित किया जा सकता है। गोदामों के पदाधिकारी आबकारी आयुक्त की आज्ञा की अपेक्षा करते हुए उस भांग की निकासी को रोक सकते हैं यदि उसे अनुपयुक्त और खराब समझे। ऐसी भांग के नमूने तुरन्त ही विश्लेषण के लिए भेज जाएंगे।

4–भांग के फूटकर विक्रेता, थोक ठेकेदार से प्रतिबन्ध–3 में उल्लिखित सर्वोत्तम प्रकार की भांग की मांग कर सकते हैं।

5–बंधित आबकारी गोदाम भवन तथा भांग के रखने के लिए अलमारी इत्यादि सरकार द्वारा दी जाएगी। यदि किसी आबकारी गोदाम में भांग रखाने के लिए पर्याप्त स्थान न हो तो ठेकेदार अपने व्यय पर किसी निजी गोदाम में, जिसकी स्वीकृत जिलाधिकारी से प्राप्त कर ली गयी हो, रखने का प्रबन्ध करेगा। भांग रखने के लिए ऐसा गोदाम किसी प्रकार के छल–कपट या चोरी डाके और भांग के स्टाक को खराब होने से सुरक्षित होना चाहिए। ऐसे निजी गोदान से भांग की निकासी केवल गोदाम के पदाधिकारी के सम्मुख संलग्न बंधित आबकारी गोदाम में ले जाने के लिए दे दी जाएगी, अन्य किसी प्रकार से नहीं। भांग के सप्लाई, संचय, तौल निकासी तथा उसकी देख–रेख से सम्बन्धित सभी उपकरण तराजू, कांटे, ताले, पेटियॉ इत्यादि सब थोक ठेकेदार को देनी होगी। भांग की सुरक्षा का दायित्व भी थोक ठेकेदार पर होगा तथा गोदाम के मकान आदि के लिए नगरपालिका के कर आदि का भुगतान भी थोक ठेकेदार करेगा।

5–भांग की समुचित सुरक्षा के लिए ठेकेदार गोदाम में या तो स्वयं या शराब के ठेकेदार के साथ 1:3 (एकःतीन) के अनुपात में वेतन देकर चौकीदार रखेगा। दोनो ही दशा में यदि मादक द्रव्य में कोई क्षति हो जाए तो क्षतिपूर्ति का पूरा दायित्व ठेकेदार पर होगा।

6–गोदामों में आबकारी आयुक्त द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम भांग का स्टाक रखना थोक ठेकेदार के लिए आवश्यक होगा जब कभी किसी बंधित गोदान में भांग की संचित मात्रा निर्धारित न्यूनतम स्टाक से कम हो जाए और ठेकेदार भांग की मांग के अनुसार तुरन्त पूर्ति करने में असमर्थ हो तो ऐसी दशा में जिलाधीश अपने विवेकानुसार अन्यत्र स्थान से ठेकेदार के दायित्व पर भांग खरीद सकते है। इस प्रकार खरीदी हुई भांग की लागत मूल्य, उस पर आरोपित आर्थिक दण्ड तथा सरकार को भी अन्य हानि, थोक ठेकेदार को मिलने वाले धन से अथवा उसकी जमानत से वसूल की जा सकती है।

7–ठेके की अवधि की समाप्ति पर यदि ठेका अगले वर्ष के लिए पुराने ठेकेदार को न मिला हो तो गोदाम में रखी हुई भांग के 6 मास तक की निकासी के लिए भांग पुराने ठेकेदार से नये ठेकेदार द्वारा अपने ठेके की दर से 25 प्रतिशत कम मूल्य पर ले ली जायेगी।

8–फुटकर अनुज्ञापित विक्रेताओं को भांग की निकासी यथोचित शीघ्रता से उस मात्रा में जितनी की उनकी आवश्यकता हो, समय–समय पर सरकारी खजाने में अभिकर तथा लागत मूल्य जमा करने के प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर दे दी जाएगी।

9–यदि भांग उस अवधि के अन्दर जिसे कि जिलाधीश उचित समझें उपरोक्त प्रतिबन्ध–8 के अनुसार न आपूर्ति की जायेगी तो आबकारी आयुक्त द्वारास जितनी मात्रा में थोक ठेकेदार मांग के अनुसार आपूर्ति करने में असमर्थ रहा हो, उस पर ऐसे दर से पेनल्टी लगायी जा सकती है जो उस समय लागू अभिकर की दर से दुगुना तक हो।

10–थोक ठकेदार बंधित गोदाम में 1 अप्रैल 1991 के पहले भांग का संचय आरम्भ कर सकता है। किन्तु बिना आबकारी आयुक्त की पूर्व आज्ञा के इस प्रकार संचित भांग का कोई भी अंश न बेचा जायेगा और न उसके नौकरों की अभिरक्षा में बाहर जाने दिया जाएगा।

11–भांग मोहरबन्द बोरों में रखी जायेगी। जब कोई बोरा निकासी के लिए खुले तो उसे तुरन्त ही बन्द बक्सों में जिन्हें ठेकेदार इस हेतु गोदाम में रखेगा, स्थाननन्तरित कर दिया जायेगा।

12–सरकार को मादक द्रव्य पर अभिकर की दर समय–समय पर निर्धारित करने का पूरा अधिकार होगा। ठेके की अवधि में किसी भी समय अभिकर की दर में परिवर्तन किया जा सकता है। किसी भी गोदाम से निर्धारित दर पर भांग का मूल्य और अभिकर की धनराशि खजाने में जमा किये जाने के प्रमाण पत्र के बिना कोई निकासी नहीं दी जायेगी। सरकारी प्रबन्ध की दूकानों की जिला आबकारी अधिकारी द्वारा दिये गये अनुमति पत्र के उपस्थित करने पर निकासी दी जायेगी।

13–थोक ठेकेदार आबकारी सम्बन्धी ऐसे समस्त स्वीकृत नियमों का पालन करने को बाध्य होगा, जो उस पर लागू होते हों।

14–प्रत्येक मास के भांग के समय और आपूर्ति के लेखे के विवरण यथासम्भव आगामी मास के 15 वें दिन तक प्रस्तुत कर दिये जायेंगे।

15–थोक आपूर्तक के लिए अपने ठेके के क्षेत्र में भांग की फूटकर बिक्री में किसी प्रकार का हिस्सा अथवा स्वार्थ रखना वर्जित है।

16–ऐसे सब मामलों में, जिनके लिए इस अनुज्ञा पत्र में व्यवस्था नहीं की गई है, ठेकेदार को आबकारी आयुक्त का निर्णय मानना होगा। आबकारी आयुक्त के निर्णय के विरूद्ध सरकार को अपील की जा सकती है।

17–अनुज्ञा–पत्र के प्रतिबन्धो की पूर्ति के लिए थोक ठेकेदार प्रतिभूति स्वरूप रू0 25000/– नकद या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में जिनका तत्कालिक मूल्य बाजार में 25000/– रू0 से कम न हो, जमा करेगा।

18–यदि ठेकेदार या कोई व्यक्ति, जो उसका कर्मचारी हो, अनुज्ञा–पत्र के प्रतिबन्ध का उल्लंघन करेगा तो आबकारी आयुक्त अपने निर्णय के अनुसार उस पर (क) 5000/– रू0 तक पेन्लटी आरोपित कर सकता है या (ख) राज्य सरकार की स्वीकृति से उसकी जमा की हुई प्रतिभूति की रकम जब्त कर सकता है और उसका अनुज्ञा–पत्र निरस्त कर सकता है और ठेकेदार के दायित्व पर उसका विशेषाधिकार दूसरे को दे सकता है।

19–भांग के थोक ठेके की समाप्ति पर, जिसके सम्बन्ध में यह अनुज्ञा पत्र दिया गया है अनुज्ञापी को यह अधिकार होगा कि वह इस बात की मांग करे कि समस्त वस्तुएं जो बंधित आबकारी गोदाम में भांग को रखने, उसकी निकासी देने, तौलने के लिए प्रयोग में लाई गई हो, उसने उसके बाद आने वाला ठेकेदार को ऐसे मूल्य पर लेगा, जिसकी आबकारी आयुक्त ने आज्ञा दी हो।

20–इसी प्रकार नया थोक आपूर्तक भी बाध्य होगा कि वह उपरोक्त वस्तुओं को उपरोक्त प्रतिबन्धों के अन्तर्गत पुराने ठेकेदार से मोल ले ले। यदि वह उस मूल्य को, जो या तो आपसी समझौते द्वारा तय हुआ हो या आबकारी आयुक्त द्वारा निर्णीत हुआ हो, एक मास के अन्दर नहीं चुकाता तो उसका ठेका निरस्त किया जा सकेगा और आबकारी आयुक्त इस रकम में से, जो नये ठेकेदार के हिसाब में उत्तर प्रदेश के किसी सरकारी खजाने में जमा हो, पुराने ठेकेदार को उक्त मूल्य पर दे सकता है।

21–थोक आपूर्तक को निर्धारित संचय केन्द्रो पर सुरक्षित गोदामों की व्यवस्था करनी होगी, जिसमें भांग के भण्डारण/तौल आदि के लिए पर्याप्त स्थान चहारदीवारी या कांटेदार तार से घिरा उपलब्धह हो।

आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश।

परिशिष्ट

जिला	गोदाम	प्रति कि0 ग्रा0 मूल्य की दर से जिस पर ठेकेदार उत्तर प्रदेश के निर्धारित जिलों में स्वतः उगी हुई भांग की आपूर्ति करने को बाध्य होगा
1	2	3

संविदा की प्रतिलिपि

मैं ———————————————————————————————————— उपरिकथित थोक आपूर्तक अपने लिए, उत्तराधिकारियों, कानूनी प्रतिनिधियों और स्वत्वग्रहीता की ओर से ऊपर लिखे हुए सभी नियमों तथा धाराओं से सहमत हूँ।

हस्ताक्षर